राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प.1 (15)एमई/ग्रुप–1/13पार्ट जयपुर, दिनांक : 28 NOV 2019

आदेश

डॉ. निर्मला शर्मा, आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर में पंजीबद्ध अपराध संख्या 139/2014 अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) एवं 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में दण्डनीय अपराध के लिए प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(35)का./क–3/शिका./2014 दिनांक 05.05.14 के द्वारा तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया था।

डॉ. शर्मा डायनेमिक एस्योर्ड केरियर प्रोग्रेशन (डी.ए.सी.पी.) स्कीम के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2017 को वरिष्ठ आचार्य के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखती थी। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशिष्ठता के चिकित्सक शिक्षकों की डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत पदोन्नति हेतु स्क्रिनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 15.06.2017 को आयोजित की गई थी। बैठक आयोजन के समय डॉ. शर्मा के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रकरण अपराध संख्या 139/2014 में निलम्बित रहने के कारण डी.ए.सी.पी. स्क्रिनिंग कमेटी द्वारा उनका पदोन्नति संबंधी परिणाम सीलबन्द लिफाफे में रखने की अनुशंषा की गई।

कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश क्रमांक प.2(2)(35)का./क–3/शिका./2014 दिनांक 18.07.17 के द्वारा डॉ. शर्मा को उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के निर्णय के अध्यधीन निलम्बन से बहाल किया गया। निलम्बन से बहाली के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(47)एम.ई/ग्रुप–1/96 दिनांक 28.07.2017 के द्वारा डॉ. शर्मा का पदस्थापन आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर मेडिकल कॉलेज, अजमेर में तथा दिनांक 01.06.2018 के द्वारा मेडिकल कॉलेज, कोटा में आचार्य, स्त्री एवं प्रसूति रोग के पद पर पदस्थापन किया गया।

कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के आदेश प.2(2)(35)का./क–3/शिका./2014 दिनांक 25.10.17 के अनुसार माननीय न्यायालय, विशिष्ट नयायाधीश, सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण, कोटा के निर्णय दिनांक 28.08.17 के द्वारा डॉ. शर्मा को इनके विरूद्ध आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 7, 13(1)(डी) सपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 से सन्देह का लाभ देते हुये दोषमुक्त किया गया साथ ही माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.2017 के विरूद्ध की जाने वाली अपील के संबंध में होने वाले निर्णय के अध्यधीन डॉ. शर्मा की निलम्बन अवधि को सभी प्रयोजनार्थ सेवाकाल माने जाने के आदेश प्रदान किये गये।

क्रमशः– 2

कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग के पत्र कमांक प.2(2)(34)का./क–3/शि./14पार्ट दिनांक 18.09.18 द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपराध संख्या 139/14 विरूद्ध डॉ. निर्मला शर्मा, आचार्य में माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.08.17 के विरूद्ध अपील पेश नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया है।

दोषमुक्त किये जाने के उपरान्त डॉ. शर्मा का डी.ए.सी.पी. अन्तर्गत पदोन्नति संबंधी सीलबन्द लिफाफा नियमानुसार खोला गया क्योंकि डॉ. शर्मा दिनांक 01.04.2017 की स्थिति में पदोन्नति हेतु पात्र थी।

डी.ए.सी.पी. स्क्रिनिंग कमेटी की अनुशंषा अनुसार डॉ. निर्मला शर्मा, आचार्य प्रसूति एवं स्त्री रोग को डी.ए.सी.पी. स्कीम के तहत दिनांक 01.4.2017 (वर्ष 2017–18) से वरिष्ठ आचार्य, प्रसूति एवं स्त्री रोग के पद पर एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पर डॉ. शर्मा का पदस्थापन यथावत मेडिकल कॉलेज, कोटा में किया जाता है।

यह आदेश निर्वाचन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक कमांक प. 3(1)(15)1/निर्वा./2018/10974 दिनांक 23.11.2018 के द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी किये जाते है।

आदेश से,

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
5. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. संबंधित चिकित्सक शिक्षक मार्फत संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, कोटा।
7. रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव